सुझाव हेतु उत्तराखण्ड डिजिटल मीडिया/इन्फ्लुएंसर्स नियमावली–2025 का ड्राफ्ट।

उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

उत्तराखण्ड डिजिटल मीडिया/इन्फ्लुएंसर्स नियमावली–2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–

(क) इस नियमावली का नाम "**उत्तराखण्ड डिजिटल मीडिया/इन्फ्लुएंसर्स नियमावली–2025**" होगा।

(ख) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

01. प्रस्तावना और उद्देश्यः

उत्तराखण्ड राज्य सरकार अपने विकासपरक जन–कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों, सार्वजनिक कल्याण योजनाओं और सरकारी उपलब्धियों की जानकारी को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुँचाने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करती है। राज्य की एक बड़ी जनसंख्या रोजगार, व्यवसाय या अन्य कारणों से राज्य से बाहर जाती है और अक्सर अन्य राज्यों या विदेशों में निवास करती है, इन प्रवासी नागरिकों तक जानकारी प्रायः इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से पहुँचती है।

राज्य सरकार का उद्देश्य इन प्रवासी नागरिकों तक महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और जन–कल्याणकारी नीतियों/कार्यक्रमों की जानकारियों और शीघ्र और प्रभावी ढंग से डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से पहुँचाना है। इसके लिए सूचना और लोक संपर्क विभाग द्वारा डिजिटल मीडिया हैंडल्स, पेज, चैनल, ऑपरेटर, इन्फ्लुएंसर्स, कन्टेंट क्रिएटर्स और उनकी संबंधित एजेंसियों की एक सूची तैयार की जायेगी, जिनमें विज्ञापन शासकीय आवश्यकताओं और प्रासंगिकता के आधार पर निर्धारित नियमों के तहत आवंटित किए जाएंगे।

इस सूची में विशेष रूप से उन डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को शामिल किया जाएगा जो विभिन्न सरकारी योजनाओं, नीतियों व जन–कल्याणकारियों योजनाओं/जानकारियों के लिये सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और उत्तराखण्ड सहित विभिन्न हिस्सों में अपनी उपस्थिति और प्रभाव रखते हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि वे अपने सोशल मीडिया हैंड्ल्स/प्लेटफार्मों के माध्यम से सही व सटीक जानकारियां आम जनता तक पहुँचा सकें।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार उन सोशल मीडिया व्यक्तित्वों को भी शामिल करेगी जो पहले से ही स्थानीय क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं और जिनके पास बड़ी संख्या में फॉलोवर्स हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स का समर्थन करने से सरकार को अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने में मदद मिलेगी।

उत्तराखण्ड डिजिटल मीडिया/इन्फ्लुएंसर्स नियमावली–2025 के प्रावधानों के तहत सभी प्रकार के डिजिटल मीडिया विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इस नीति में विभिन्न प्रकार के इन्फ्लुएंसर्स की पहचान की गई है, जिनमें बजट–फ्रेंडली, माइक्रो–इन्फ्लुएंसर्स से लेकर हाई–प्रोफाइल व्यक्तित्व तक शामिल हैं,

जिससे राज्य व्यापक दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुँच सकता है। इन इन्फ्लुएंसर्स का उपयोग करके, सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि उसकी योजनाओं और नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जनता तक पहुँचे, जिससे अधिक से अधिक जागरूकता और भागीदारी बढ़ सके।

उत्तराखण्ड डिजिटल मीडिया/इन्फ्लुएंसर्स नियमावली–2025 का उद्देश्य यह है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से शासकीय विकासपरक जन–कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों, सार्वजनिक कल्याण की योजनाओं और सरकारी उपलब्धियों की पहुँच और प्रभाव को बढ़ाया जा सके, जिससे अंततः उत्तराखण्ड राज्य के लोग लाभान्वित हो सकें।

02. परिभाषाएँ:

• डिजिटल मीडिया हैंडल का मतलब है वह सोशल मीडिया खाता जो व्यक्तिगत स्तर पर संचालित होता है।

• **इन्फ्लुएंसर :** इन्फ्लुएंसर वह व्यक्ति होता है, जिसके पास एक दर्शक वर्ग होता है, और वह अपने दर्शकों/पाठको को किसी उत्पाद, सेवा, ब्रांड या अनुभव के बारे में उनके खरीदारी निर्णयों या विचारों को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। इन्फ्लुएंसर अपने ज्ञान, वर्तमान स्थिति और अपने दर्शकों के साथ रिश्ते के कारण संपादकीय संदर्भ में हस्तक्षेप कर सकता है या किसी ब्रांड के साथ सहयोग कर सामग्री प्रकाशित कर सकता है।

• **सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन :** सोशल मीडिया से तात्पर्य उन ऑनलाइन प्लेटफार्मों से है, जहाँ उपयोगकर्ता अपनी गतिविधियों और वर्तमान स्थिति से संबंधित परस्पर संवाद कर सकते हैं, जैसे (लेकिन सीमित नहीं) Facebook, Instagram, YouTube, और X (Formerly Twitter) । इसके साथ ही समय–समय पर महानिदेशक महादेय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त के अतिरिक्त अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म।

• **विज्ञापनदाता :** वह व्यक्ति या संस्था है जो सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन बनाने और प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और सोशल मीडिया पर विज्ञापन आवंटित करने के कार्य में संलिप्त रहती है।

• **सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग :** यह एक मार्केटिंग गतिविधि है, जिसका उद्देश्य किसी उत्पाद या ब्रांड के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से तीसरे पक्ष को लाभ या फायदे के बारे में जागरूक करना, जो समूह या व्यक्ति द्वारा निर्मित हो।

• **दिवालिया या दिवालियापन :** इस नीति में प्रयुक्त "दिवालिया" शब्द का वही अर्थ होगा जो "दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016" की धारा 79 के उपबंध (3) में परिभाषित है।

• **ब्लैकलिस्ट :** इसका अर्थ है इन्फ्लुएंसर या चैनल को सरकार के साथ लाभकारी संबंध स्थापित करने के विशेष अधिकार से वंचित करना।

• **सक्षम प्राधिकरण :** इसका अर्थ है उत्तराखण्ड सरकार के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड के महानिदेशक या उनके द्वारा नामित नोडल अधिकारी, या कोई अन्य अधिकारी जिसे उन्होंने इस विशेष उद्देश्य के लिए अधिकृत किया हो।

• **पैनल में शामिल होने की तिथि :** इसका अर्थ है पैनल में शामिल होने का पत्र जारी होने की तिथि।

• **सोशल मीडिया :** सोशल मीडिया से तात्पर्य चार प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफार्मों से है, अर्थात् Facebook, Instagram, YouTube, और X (Formerly Twitter) जो व्यक्तियों और संगठनों को पठन–पाठन सामग्री और जानकारी साझा करने में मदद करते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफार्म सामाजिक बातचीत, संचार और उपयोगकर्ताओं के समूहों के बीच विभिन्न प्रकार के मीडिया, जैसे कि संदेश, छवियाँ, वीडियो, और लिंक साझा करने को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

03. सूचीबद्धता के लिए निर्देश :

सूचना विभाग में डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या संबंधित एजेंसी/फर्म का पंजीकरण सूचीबद्धता के लिए :

01. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/हैंडल यथा Facebook, Instagram, YouTube, और X (Formerly Twitter) में यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/हैंडल को मोनेटाइज (Monetize) किये जाने का प्राविधान है, तो केवल उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/हैंडल को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा, जो Facebook, Instagram, YouTube, और X (Formerly Twitter) में पूर्व से ही मोनेटाइज (Monetize) होगी।

02. कॉपीराइट उल्लंघन की समस्त जिम्मेवारी डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या संबंधित एजेंसी/फर्म की होगी।

03. यह अनिवार्य है कि संबंधित डिजिटल मीडिया हैंडल कम से कम **02 वर्षों से सक्रिया** हो, इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

04. सूचीबद्धता के लिए आवेदन करते समय पिछले **01 वर्ष की** डिजिटल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसका प्रस्तुतीकरण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष करना होगा। प्रस्तुतीकरण के आधार पर डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या उनकी संबंधित एजेंसियाँ/फर्म को विभिन्न श्रेणियों में सूचीबद्ध किया जायेगा।

05. डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या उनकी संबंधित एजेंसियाँ/फर्म सूचना विभाग के साथ विज्ञापन हेतु पैनल में शामिल होंगी, जिन्हें विभाग द्वारा समय–समय पर शासकीय आवश्यकता के अनुसार विज्ञापन आवंटन किया जायेगा।

06. इन्फ्लुएंसर को किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU), कानूनी निकायों, या भारत सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट या अयोग्य नहीं किया जाना चाहिए। सूचीबद्धता के लिए इन्फ्लुएंसर को यह हलफनामा/शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट राइटर या उनकी संबंधित एजेंसी/फर्म के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

07. सूचीबद्धता के लिए आवेदन करने वाले डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या उनकी संबंधित एजेंसी/फर्म को यह हलफनामा/शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की गई जानकारी सही है।

यदि भविष्य में पाया जाता है कि प्रस्तुत जानकारी गलत है, तो उस स्थिति में संबंधित फर्म की सूचीबद्धता को निरस्त/समाप्त कर दिया जायेगा।

08. इन्फ्लुएंसर दिवालिया, असमर्थ या रिसीवरशिप में नहीं होना चाहिए, उसकी व्यावसायिक गतिविधियाँ निलंबित नहीं होनी चाहिए।

09. समाचार पत्रों/मैगजीन की तरह, डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/ डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या उनकी संबंधित एजेंसियों/फर्मों को सूचीबद्धता प्रदान करने के संबंध में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। **प्रथम एवं द्वितीय पक्ष** के मध्य किसी भी दशा में विवाद के लिए न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

10. डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या उनकी संबंधित एजेंसी/फर्म विभाग में सूचीबद्ध हुई है, तो स्वामित्व परिवर्तन से संबंधित जानकारी विभाग को दी जानी होगी। स्वामित्व परिवर्तन पर निर्णय महानिदेशक महोदय द्वारा लिया जायेगा।

11. केवल भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनियों के पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत फर्मों को पैनल में शामिल किया जाएगा।

04. सूचीबद्धता हेतु प्रक्रिया :

विभाग समय–समय पर डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या उनकी संबंधित एजेंसियों/फर्मों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किये जाने हेतु अनुरोध (Request for Empanelment) आमंत्रित करेगा, जिसमें इच्छुक इन्फ्लुएंसर्स अपने प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे RFE (Request for Empanelment) में परिभाषित किया जाएगा। इच्छुक डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या उनकी संबंधित एजेंसियों/फर्म द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग द्वारा उनके अनुरोध पत्र का मूल्यांकन किया जायेगा और मूल्यांकन के आधार पर तकनीकी रूप से योग्य इन्फ्लुएंसर को विभाग के साथ विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा।

05. डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या संबंधित एजेंसी/फर्म के चयन हेतु विभागीय चयन/कंटेंट कमेटी :–

विभागीय चयन/कंटेंट कमेटी में 04 सदस्य होंगे। समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :–

1.	महानिदेशक, सूचना	अध्यक्ष
2.	अपर निदेशक, सूचना	सदस्य
3.	वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सूचना	सदस्य
4.	प्रभारी अधिकारी, सोशल मीडिया	सदस्य

06. इन्फ्लुएंसर के प्रमुख दायित्व :

आज के डिजिटल परिदृश्य में इन्फ्लुएंसर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अक्सर अपने ऑनलाइन सोशल मीडिया हैंडल्स्, फोलोवर्स व सब्सक्राइबरों का उपयोग करके उत्पादों, कारणों, या विचारों को बढ़ावा देते हैं। जबकि इन जिम्मेदारियों का स्तर इन्फ्लुएंसर के प्रकार और उनके विशेष क्षेत्र के आधार पर भिन्न हो सकता है, कुछ सामान्य जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं:

(a) **नैतिक व्यवहार :** इन्फ्लुएंसरों को उत्पादों या विचारों को बढ़ावा देते समय नैतिक दिशा—निर्देशों **(Annexure-A)** का पालन करना होगा। इसमें गलत दावों/फेक न्यूज से बचना, गोपनीयता का सम्मान करना और सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संवेदनाओं का ध्यान रखना शामिल है।

(b) **कानूनी अनुपालन :** संबंधित कानूनों और विनियमों का समझना और अनुपालन करना आवश्यक है, जैसे कि विज्ञापन, कॉपीराइट, और डेटा सुरक्षा से संबंधित कानून।

(c) **सकारात्मक संदेशों को बढ़ावा देना :** इन्फ्लुएंसरों के पास राय और व्यवहारों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। उन्हें अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग सकारात्मक संदेशों को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए, जैसे कि समावेशन, विविधता, और सामाजिक जिम्मेदारी।

(d) **राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, निर्णयों, पहलों, कार्यक्रमों आदि का सकारात्मक रूप से प्रचार करना :** इन्फ्लुएंसरों से यह अपेक्षित है कि राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, निर्णयों, पहलों, कार्यक्रम आदि उनके संबंधित सोशल मीडिया हैंड्ल्स पर सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करें।

07. सूचीबद्धता में वैधता : सूचीबद्धता 03 (तीन) वर्षों के लिए वैध होगी। महानिदेशक महोदय द्वारा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर सूचीबद्धता की अवधि को प्रत्येक बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

08. सूचीबद्धता के लिए आवश्यक प्रपत्र :

(1) फर्म के नाम और पंजीकरण से संबंधित प्रपत्र।

(2) सोशल मीडिया खातों के ऑपरेटर का GST नंबर/आयकर रिटर्न प्रमाण—पत्र, जो व्यक्तिगत स्तर पर संचालित होते हैं।

(3) पैन नंबर।

(4) बैंक खाता विवरण।

(5) ऑपरेटर का आधार कार्ड।

(6) सोशल/डिजिटल मीडिया खातों का विवरण, जो फर्म/व्यक्तिगत स्तर पर अधिकृत व्यक्तियों द्वारा संचालित होते हैं।

(7) अधिकृत व्यक्ति का संपर्क विवरण।

(8) डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/खाता धारक/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या उनकी संबंधित एजेंसी/फर्म को सूचीबद्धता के समय यह हलफनामा/शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि उनका कौन सा **YouTube चैनल/Facebook पेज/Instagram हैंडल/X (Formerly Twitter)** उनके फर्म/एजेंसी का मालिक है।

09. डिजिटल मीडिया पंजीकरण प्रक्रियाः

यह पंजीकरण विभिन्न श्रेणियों में किया जाएगा, जो सब्सक्राइबर/फॉलोअर की संख्या पर आधारित होगा। **YouTube चैनल/Facebook पेज/Instagram हैंडल/X (Formerly Twitter)** जैसे डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों/एजेंसियों द्वारा पंजीकरण निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर किया जाएगा, अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन **05** श्रेणियां हैं–

8.1. फेसबुक पेज के लिए :

श्रेणी	न्यूनतम फॉलोवर/सब्सक्राइबर	वीडियो/पोस्ट की संख्या
A	10,00,000 से अधिक फॉलोवर	फेसबुक पेज/चैनल पर पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 25 वीडियो अथवा 25 मूल पोस्ट साझा करना अनिवार्य है।
B	5,00,001 से 10,00,000 तक फॉलोवर	फेसबुक पेज/चैनल पर पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 20 वीडियो अथवा 25 मूल पोस्ट साझा करना अनिवार्य है।
C	2,00,001 से 5,00,000 तक फॉलोवर	फेसबुक पेज/चैनल पर पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 15 वीडियो अथवा 20 मूल पोस्ट साझा करना अनिवार्य है।
D	1,00,001 से 2,00,000 तक फॉलोवर	फेसबुक पेज/चैनल पर पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 10 वीडियो अथवा 15 मूल पोस्ट साझा करना अनिवार्य है।
E	50,000 से 1,00,000 तक फॉलोवर	फेसबुक पेज/चैनल पर पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 8 वीडियो अथवा 10 मूल पोस्ट साझा करना अनिवार्य है।

8.2. इंस्टाग्राम पेज के लिए :

श्रेणी	न्यूनतम फॉलोवर/सब्सक्राइबर	वीडियो/पोस्ट की संख्या
A	10,00,000 से अधिक फॉलोवर	इंस्टाग्राम हैंडल पर पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 25 वीडियो अथवा 25 मूल पोस्ट साझा करना अनिवार्य है।
B	5,00,001 से 10,00,000 तक फॉलोवर	इंस्टाग्राम हैंडल पर पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 20 वीडियो अथवा 25 मूल पोस्ट साझा करना अनिवार्य है।
C	2,00,001 से 5,00,000 तक फॉलोवर	इंस्टाग्राम हैंडल पर पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 15 वीडियो अथवा 20 मूल पोस्ट साझा करना अनिवार्य है।
D	1,00,001 से 2,00,000 तक फॉलोवर	इंस्टाग्राम हैंडल पर पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 10 वीडियो अथवा 15 मूल पोस्ट साझा करना अनिवार्य है।
E	50,000 से 1,00,000 तक फॉलोवर	इंस्टाग्राम हैंडल पर पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 8 वीडियो अथवा 10 मूल पोस्ट साझा करना अनिवार्य है।

8.3. X (Formerly Twitter) के लिए :

श्रेणी	न्यूनतम फॉलोवर/सब्सक्राइबर	वीडियो/पोस्ट की संख्या
A	5,00,000 से अधिक फॉलोवर	पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 25 वीडियो अथवा 25 मूल पोस्ट साझा करना अनिवार्य है।
B	2,00,001 से 5,00,000 तक फॉलोवर	पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 20 वीडियो अथवा 25 मूल पोस्ट साझा करना अनिवार्य है।
C	1,00,001 से 2,00,000 तक फॉलोवर	पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 15 वीडियो अथवा 20 मूल पोस्ट साझा करना अनिवार्य है।
D	50,001 से 1,00,000 तक फॉलोवर	पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 10 वीडियो अथवा 15 मूल पोस्ट साझा करना अनिवार्य है।
E	25,000 से 50,000 तक फॉलोवर	पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 8 वीडियो अथवा 10 मूल पोस्ट साझा करना अनिवार्य है।

8.4. Youtube के लिए :

श्रेणी	न्यूनतम फॉलोवर/सब्सक्राइबर	वीडियो/पोस्ट की संख्या
A	10,00,000 से अधिक सब्सक्राइबर	पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 30 वीडियो साझा करना अनिवार्य है।
B	5,00,001 से 10,00,000 तक सब्सक्राइबर	पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 25 वीडियो साझा करना अनिवार्य है।
C	2,50,001 से 5,00,000 तक सब्सक्राइबर	पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 20 वीडियो साझा करना अनिवार्य है।
D	1,00,001 से 2,50,000 तक सब्सक्राइबर	पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 15 वीडियो साझा करना अनिवार्य है।
E	50,000 से 1,00,000 तक सब्सक्राइबर	पिछले 01 वर्ष में प्रतिमाह 10 वीडियो साझा करना अनिवार्य है।

नोट :

01. 0 से 90 सेकंड तक की अवधि वाली सामग्री को रील्स/शॉट्र्स के रूप में गिना जाएगा, जबकि 90 सेकंड से अधिक की अवधि वाली सामग्री को वीडियो के रूप में गिना जाएगा।

02. डिजिटल मीडिया हैंडल/सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल खाता धारक/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या उनकी संबंधित एजेंसी/फर्म, व्यक्तिगत स्तर पर संचालित सोशल/डिजिटल मीडिया खाता ऑपरेटर को स्वचालित रूप से शामिल माना जाएगा। सूचीबद्धता, कार्य–आदेश और भुगतान से संबंधित सभी शर्तें व्यक्तिगत स्तर पर संचालित खाता ऑपरेटरों के साथ–साथ अन्य श्रेणियों पर भी लागू होंगी।

03. बोट फॉलोवर/सब्सक्राइबर स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। इसके साथ ही यदि किसी पोस्ट को बूस्ट किये जाने की आवश्यकता होती है, तो संबंधित द्वारा जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हेतु विज्ञापन/पोस्ट की गई है, तो वह उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के

नियम/शर्तों के अनुसार उस पोस्ट को बूस्ट कर सकते है, वह विभाग द्वारा स्वीकार्य होगी।

04. **YouTube चैनल/Facebook पेज/Instagram हैंडल/X (Formerly Twitter)** डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों के सब्सक्राइबर/फॉलोवर की संख्या में वृद्धि/कमी होने पर उस श्रेणी के न्यूनतम सब्सक्राइर/फॉलोवर के आधार पर विज्ञापन आवंटित किये जा सकते है।

05. जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/हैंडल (**YouTube चैनल/Facebook पेज/Instagram हैंडल/X (Formerly Twitter)**) में 50,00,000 (5M) से अधिक फॉलोवर/सब्सक्राइबर है, उन्हें मा.मुख्यमंत्री/विभागीय सूचना मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त व्यवसायिक दरों पर विज्ञापन आवंटित किया जा सकता है। विज्ञापन धनराशि आवंटित किये जाने का सर्वाधिकार मा.मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार का होगा।

10. विभागीय सामग्री प्रदर्शन और भुगतान के मापदंडः

• डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल के अकाउंट होल्डर/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिंया इन्फ्लुएंसर्स/कंटेंट राइटर या उनकी संबंधित एजेंसी/फर्म द्वारा उत्पन्न डिजिटल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट (जैसे **YouTube चैनल/Facebook पेज/Instagram हैंडल/X (Formerly Twitter)** द्वारा उत्पन्न रिपोर्ट) सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को विज्ञापन बिल के साथ प्रस्तुत की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वे अपने द्वारा पोस्ट किए गए कन्टेंट का विश्लेषण भी प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही, वे यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि विज्ञापन उनके डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल पर प्रदर्शित या प्रसारित किया गया है और रिपोर्ट में दी गई लिंक में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है।

• भुगतान केवल उन परिस्थितियों में किया जाएगा जब यह सुनिश्चित किया जाए कि विज्ञापन आदेश के अतिरिक्त पोस्ट किए गए कन्टेंट मुख्यतः उत्तराखण्ड के सामाजिक, शासकीय, आध्यात्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, उक्त कन्टेंट की रूपरेखा संबंधित 'विषय' के अनुरूप होनी चाहिए और इसका उद्देश्य राज्य में विभिन्न मुद्दों के बारे में आम जन में जन–जागरूकता और ज्ञान बढ़ाना होना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि कोई भी कन्टेंट/वीडियो/ट्वीट/पोस्ट/रील राष्ट्रविरोधी, असामाजिक, अशोभनीय है, या किसी समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाओं को आहत करता है, या यह गलत तथ्यों पर आधारित है/शासकीय योजनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड की स्वीकृति से भुगतान रोका जा सकता है, भले ही भुगतान से संबंधित शर्तें पूरी की गई हों।

• भुगतान केवल दृश्य (views) के आधार पर किया जाएगा। पोस्ट किए गए कंटेंट के दृश्य (Views) कन्टेंट निर्माता द्वारा प्रदान किए गए मापदंडों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। प्रदर्शित कन्टेंट के दृश्य (views) वास्तविक होने चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाएगा, और इस संदर्भ में कन्टेंट निर्माता/सूचीबद्ध फर्म/एजेंसी द्वारा शपथ–पत्र भी सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को को प्रस्तुत किया जाएगा।

• भुगतान केवल सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी किए गए कार्य–आदेश (work order) के आधार पर किया जाएगा। मूल कार्य–आदेश के अलावा किए गए किसी भी कार्य या गतिविधि के लिए किसी भी डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/खाता धारक/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कन्टेंट राइटर या उनकी संबंधित एजेंसी/फर्म को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

• **विभागीय चयन/कंटेंट समिति** द्वारा सूचीबद्धता से पूर्व डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मा यथा **YouTube चैनल/Facebook पेज/Instagram हैंडल/X (Formerly Twitter)** का परीक्षण किया जायेगा। समिति द्वारा निर्धारित किये गये मापदंडों के आधार पर ही सूचीबद्ध किया जायेगा। समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा। आवश्यकता पडने पर समिति द्वारा किसी तृतीय पक्ष से भी जांच करायी जा सकती है।

9.1. Facebook पेज/Instagram हैंडल :–

तालिका–क

श्रेणी–A	• 90 सेकेंड तक के रील्स/शाट्र्स वीडियो के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 50 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रूपये 80 हजार तक देय होगी। • 90 सेकेंड से अधिक के वीडियो/रील्स के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 80 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रूपये 01 लाख तक देय होगी। • **श्रेणी–A में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध डिजीटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल को महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड की स्वीकृति के पश्चात् ही अधिकतम 05 लाख रूपये प्रतिमाह के विज्ञापन निर्गत किये जा सकेंगे।**
श्रेणी–B	• 90 सेकेंड तक के रील्स/शाट्र्स वीडियो के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 45 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रूपये 70 हजार तक देय होगी। • 90 सेकेंड से अधिक के वीडियो/रील्स के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 75 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रूपये 80 हजार तक देय होगी। • **श्रेणी–B में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध डिजीटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल को महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड की स्वीकृति के पश्चात् ही अधिकतम 04 लाख रूपये प्रतिमाह के विज्ञापन निर्गत किये जा सकेंगे।**
श्रेणी–C	• 90 सेकेंड तक के रील्स/शाट्र्स वीडियो के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 40 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रूपये 60 हजार तक देय होगी। • 90 सेकेंड से अधिक के वीडियो/रील्स के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 65 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रूपये 75 हजार तक देय होगी। • **श्रेणी–C में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध डिजीटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल को महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड की स्वीकृति के**

	पश्चात् ही अधिकतम 03 लाख रूपये प्रतिमाह के विज्ञापन निर्गत किये जा सकेंगे।
श्रेणी–D	• 90 सेकेंड तक के रील्स/शाट्र्स वीडियो के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 35 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रूपये 50 हजार तक देय होगी। • 90 सेकेंड से अधिक के वीडियो/रील्स के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 60 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रूपये 65 हजार तक देय होगी। • **श्रेणी–D में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध डिजीटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल को महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड की स्वीकृति के पश्चात् ही अधिकतम 02 लाख रूपये प्रतिमाह के विज्ञापन निर्गत किये जा सकेंगे।**
श्रेणी–E	• 90 सेकेंड तक के रील्स/शाट्र्स वीडियो के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 25 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रूपये 40 हजार तक देय होगी। • 90 सेकेंड से अधिक के वीडियो/रील्स के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 40 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि रूपये 60 हजार तक देय होगी। • **श्रेणी–E में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध डिजीटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल को महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड की स्वीकृति के पश्चात् ही अधिकतम 01 लाख रूपये प्रतिमाह के विज्ञापन निर्गत किये जा सकेंगे।**

9.2. X (Formerly Twitter) के लिए :

तालिका–ख

श्रेणी–A	• एक पोस्ट/ट्वीट किये जाने पर 30 दिन हेतु दर रूपये 10 हजार देय होगा। • **इस श्रेणी में अधिकतम भुगतान की सीमा प्रतिमाह रूपये 50 हजार होगी।**
श्रेणी–B	• एक पोस्ट/ट्वीट किये जाने पर 30 दिन हेतु दर रूपये 08 हजार देय होगा। • **इस श्रेणी में अधिकतम भुगतान की सीमा प्रतिमाह रूपये 40 हजार होगी।**
श्रेणी–C	• एक पोस्ट/ट्वीट किये जाने पर 30 दिन हेतु दर रूपये 06 हजार देय होगा। • **इस श्रेणी में अधिकतम भुगतान की सीमा प्रतिमाह रूपये 30 हजार होगी।**
श्रेणी–D	• एक पोस्ट/ट्वीट किये जाने पर 30 दिन हेतु दर रूपये 05 हजार देय होगा। • **इस श्रेणी में अधिकतम भुगतान की सीमा प्रतिमाह रूपये 20 हजार होगी।**

श्रेणी–E	• एक पोस्ट/ट्वीट किये जाने पर 30 दिन हेतु दर रूपये 02 हजार 05 सौ देय होगा। • **इस श्रेणी में अधिकतम भुगतान की सीमा प्रतिमाह रूपये 10 हजार होगी।**

9.3.YouTube चैनल :–

तालिका–ग

श्रेणी–A	• प्रति विडियो के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 01 लाख प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकॉस्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि 02 लाख तक देय होगी। • प्रति शार्ट्स के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 50 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन पर धनराशि रूपये 01 लाख तक देय होगी। **नोट : विभिन्न विज्ञापनों के कुल भुगतान की अधिकतम सीमा प्रतिमाह 05 लाख रूपये तक होगी।**
श्रेणी–B	• प्रति विडियो के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 60 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकॉस्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि 01 लाख तक देय होगी। • प्रति शार्ट्स के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 40 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन पर धनराशि रूपये 80 हजार तक देय होगी। **नोट : विभिन्न विज्ञापनों के कुल भुगतान की अधिकतम सीमा प्रतिमाह 04 लाख रूपये तक होगी।**
श्रेणी–C	• प्रति विडियो के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 50 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकॉस्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि 80 हजार तक देय होगी। • प्रति शार्ट्स के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 30 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन पर धनराशि रूपये 60 हजार तक देय होगी। **नोट : विभिन्न विज्ञापनों के कुल भुगतान की अधिकतम सीमा प्रतिमाह 03 लाख रूपये तक होगी।**
श्रेणी–D	• प्रति विडियो के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 40 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकॉस्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि 60 हजार तक देय होगी। • प्रति शार्ट्स के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 20 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन पर धनराशि रूपये 40 हजार तक देय होगी। **नोट : विभिन्न विज्ञापनों के कुल भुगतान की अधिकतम सीमा प्रतिमाह 02 लाख रूपये तक होगी।**

श्रेणी–E	• प्रति विडियो के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 25 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकॉस्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि 40 हजार तक देय होगी। • प्रति शार्ट्स के प्रदर्शन हेतु दर रूपये 10 हजार प्रति विज्ञापन 30 दिन हेतु देय होगा तथा दिये गये विषय पर वीडियो/शार्ट्स/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन पर धनराशि रूपये 25 हजार तक देय होगी। **नोट : विभिन्न विज्ञापनों के कुल भुगतान की अधिकतम सीमा प्रतिमाह 01 लाख रूपये तक होगी।**

नोट : –

- **Facebook पेज/Instagram हैंडल/X (Formerly Twitter) पर किसी एक फर्म/एजेंसी को एक माह में विज्ञापन की अधिकतम सीमा श्रेणीवार ''तालिका–क'' व ''तालिका–ख'' को मिलाकर विज्ञापन की अधिकतम सीमा तालिका–क के अनुरूप ही श्रेणीवार अनुमन्य होगी।**
- **YouTube चैनल/प्लेटफॉर्म पर किसी एक फर्म/एजेंसी को एक माह में विज्ञापन की अधिकतम सीमा श्रेणीवार ''तालिका–ग'' के अनुरूप ही श्रेणीवार अनुमन्य होगी।**
- **उक्त विज्ञापनों का भुगतान Views के आधार पर किया जायेगा। भुगतान हेतु उक्त तालिक–क, तालिका–ख व तालिका–ग से संबंधित श्रेणियों के न्यूनतम Followers/Subscribers संख्या के Views का 30 प्रतिशत होना अनिवार्य है।**
- **Followers/Subscribers संख्या के Views का 20 से 30 प्रतिशत होने की दशा में भुगतान में 20 प्रतिशत की कटौती, Views के 10 से 20 प्रतिशत होने की दशा में भुगतान में 30 प्रतिशत की कटौती व Views के 10 प्रतिशत से कम होने की दशा में भुगतान में 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।**

11. विज्ञापन बंद किये जाने/सूचीबद्धता निरस्त/रद्द किये जाने के संबंध में।

01. यदि कोई भी कन्टेंट क्रिएटर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक कन्टेंट अपलोड करता है या कोई ऐसा कन्टेंट अपलोड करता है, जो आई.टी.एक्ट का उल्लंघन करती है, ऐसी स्थिति में सूचीबद्धता रद्द किये जाने की कार्यवाही महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा की जायेगी।

02. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को यह अधिकार होगा कि वह इन्फ्लुएंसर के पंजीकरण को बिना कारण बताये तुरंत निलम्बित/निरस्त कर सकते है।

03. यदि न्यूनतम सब्सक्राइबर/फॉलोवर की संख्या सूचीबद्धता के उपरान्त लगातार तीन (03) माह कम पायी जाती है, तो महानिदेशक महोदय द्वारा सूचीबद्धता निरस्त की जा सकती है।

04. यदि किसी डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या संबंधित एजेंसी/फर्म द्वारा सूचीबद्धता के दौरान प्रस्तुत

की गई जानकारी/अभिलेख गलत पाये जाते है, तो विज्ञापन जारी नही किये जायेंगे व सूचीबद्धता निरस्त की जायेगी।

05. आवश्यकता पडने पर सूचीबद्ध डिजीटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल के फोलोवर्स/सब्सक्राइबर की संख्या के संबंध में जांच विभाग द्वारा करायी जा सकती है, इसके लिये विभाग द्वारा मांगे जाने सूचीबद्ध विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की Insight Analysis उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी।

06. निर्धारित मापदंडो से फॉलोवर्स/सब्सक्राइबर की संख्या कम पाए जाने पर सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या संबंधित एजेंसी/फर्म को फॉलोवर्स/सब्सक्राइबर की संख्या के अनुसार उपर्युक्त श्रेणी के आधार पर ही विज्ञापन निर्गत किये जायेंगे।

07. ऐसे सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या संबंधित एजेंसी/फर्म जो विभाग द्वारा निर्गत किये गये विज्ञापनों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करने से मना करेगा अथवा भुगतान हेतु वर्णित मापदंड की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

12. डिजीटल मीडिया हैंडल्स संचालकों/डिजीटल मीडिया इन्फ्लुएंसर हेतु दिशा–निर्देश।

01. विज्ञापन दिये जाने हेतु विभागीय स्तर पर महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड अधिकृत होंगे।

02. कोई भी ऐसा कन्टेंट/वीडियो/ट्वीट/पोस्ट/रील जो कि राष्ट्र विरोधी हो/समाज विरोधी हो/अभद्र हो या समाज के विभिन्न तबकों की भावना को ठेस पहुंचाता हो/गलत तथ्यों पर आधारित हो/सरकार की योजनाओं को गलत ढंग से या गलत मंशा से प्रस्तुत करता हो, उस स्थिति में उक्त कन्टेंट को पूर्ण रूप से रद्द करते हुए संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा की जायेगी।

03. उत्तराखण्ड राज्य की कला, संस्कृति एवं विकास/समाचार संबंधी कंटेंट को प्राथमिकता से पोस्ट करने वाले सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या संबंधित एजेंसी/फर्म को विज्ञापन की दृष्टि से प्राथमिकता दी जायेगी।

04. डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या संबंधित एजेंसी/फर्म की सूचीबद्धता होने का यह आशय नही होगा, कि वह विज्ञापन हेतु सर्वथा अधिकारी है, विभागीय आवश्यकता व प्रचार–प्रसार की दृष्टि से ही वेबसाइट को विज्ञापन दिया जायेगा। बजट की उपलब्धता पर ही दिये गये विज्ञापन का भुगतान किया जायेगा। सूचीबद्ध वेबसाइट को विज्ञापन देने अथवा न देने का अधिकार सर्वथा महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को होगा।

05. जीएसटी के दायरे में आने वाले डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/ऑपरेटर/डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर/कंटेंट राइटर या संबंधित एजेंसी/फर्म द्वारा जी.एस.टी. नम्बर प्रदान करने पर ही भुगतान किया जायेगा। यह जिम्मेदारी सर्वथा सम्बन्धित फर्म की होगी कि वे नियमानुसार जी.एस.टी. का दावा करें।

06. उक्त नियमावली में किसी भी उपबंध में संशोधन के लिये प्रशासकीय विभाग द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

————00————